BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
NEW DELHI (PRINCIPAL BENCH)
ORIGINAL APPLICATION No. 745/2023

IN THE MATTER OF:

Ms. Mamta Sharma ...Applicant

VERSUS

Gram Panchayat Arrana & Ors. .....Respondents

REPLY ON BEHALF OF THE APPLICANT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present Reply is being filed on behalf of the Applicant, i.e., Mrs. Mamta Sharma based on the recent progress to remediate the situation by District authorities in the matter.

2. That, in compliance to the order dated 16.07.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, the District Magistrate, Aligarh directed a fresh investigation in the matter through the District Panchayat Raj Officer, Aligarh, which was conducted on 04.07.2025, with the objective of remediating the prevailing situation.

That the investigation team, upon conducting a physical inspection of the site in front of the Applicant's house and examining the prevailing sanitary and environmental conditions, and further upon perusal of various advisories and directions issued from time to time by officers/engineers of the Government of Uttar Pradesh to the Gram Pradhan-Arrana, found that despite repeated instructions to divert sewage water towards the National Highway (NH-334-D), the Gram Pradhan failed to comply with the same.

That, instead, sewage was deliberately allowed to flow and accumulate in the inhabited area, thereby creating unhygienic and insanitary conditions. From the aforesaid facts

msharma

and circumstances, it became evident to the District Authorities that such conditions were wilfully created by the Gram Pradhan-Arrana with ulterior motives, in complete disregard of official directions and public health concerns.

3. That the District Authorities, upon examination of the relevant revenue records, further appreciated and recorded that no land has been earmarked or reserved for a pond at the site where sewage was being dumped. The land in question, being Gata No. 38, is recorded as "Pili Mitti" land, and the creation of a sewage pond thereon is wholly impermissible, unsafe, and detrimental to public health and welfare.

That the construction of a sewage pond on the said land by the Gram Pradhan resulted in unnecessary, avoidable, and wasteful expenditure of public funds, which is contrary to established Government policies, guidelines, and directives, and is against the larger public interest.

That the Gram Pradhan has acted in clear violation of applicable governmental instructions and statutory norms, as the land situated in front of the Applicant's premises is recorded as Pili Mitti land, which is unsuitable for sewage dumping or storage from any perspective whatsoever, including environmental safety, sanitation, and public health.

That it was further specifically emphasized in the inspection report that the creation of a sewage pond within the inhabited area, coupled with the expenditure of substantial public funds on its so-called beautification, including the construction of a leach pit and filter chamber at the said location, has resulted in wasteful and unjustified expenditure of public money.

That such acts clearly constitute a misuse and abuse of the official position by the Gram Pradhan, having been undertaken in disregard of public health, environmental safety, and established governmental norms, and are therefore liable to be treated as actions taken contrary to public interest and statutory responsibility.

4 That it is submitted that two independent inspection reports, prepared after site inspections conducted in the year 2022, namely by the Junior Engineer, Rural

MSharma

Engineering Department, and the Assistant Development Officer (Panchayat), Government of Uttar Pradesh, had already confirmed the technical feasibility of constructing a drainage system directing sewage towards the National Highway (NH-334D).

That, in addition thereto, the feasibility of the said drainage was re-examined by third-party engineer, who also categorically concluded that it is technically and practically feasible to construct a drain leading towards NH-334D.

That, despite the existence of the aforesaid reports and repeated confirmations of feasibility, the said option was deliberately not adopted, resulting in continued environmental and sanitary hazards within the inhabited area. The letter and report of District Magistrate, Aligarh is attached herewith (Annexure-1).

4 That the District Authorities have now fully remediated the situation in the following manner:-

a) The drainage system has been duly constructed with an appropriate gradient/slope towards National Highway NH-334D, thereby ensuring that the entire sewage is safely carried into the main drains running along the highway.

b) Consequently, no sewage or wastewater is now being discharged, dumped, or accumulated in the pit/pond situated on Gata No. 38. The villagers have resumed using the said land for its original and recorded purpose, namely mining of Pili Mitti.

c) The sewage that had earlier accumulated in the said pit/pond in in gata number 38, has been completely evacuated, and at present no water/sewage whatsoever remains therein.

d) The entire area of Gata No. 38 now stands free from all solid and liquid waste/pollutant, and the earlier unhygienic and environmentally hazardous conditions have been completely eliminated.

msharma

PRAYER

In view of the facts and circumstances stated herein above, and considering that the grievances raised in the present proceedings have been addressed pursuant to remedial measures taken by the District Authorities, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Tribunal may be pleased to:

a) permit the Applicant to withdraw Original Application No. 745 of 2023, without prejudice to the rights and contentions of the Applicant, as the cause of action presently does not survive;

b) grant liberty to the Applicant to institute appropriate proceedings, including a fresh Original Application, in accordance with law, in the event the cause of action re-emerges or any recurrence of violation or non-compliance is noticed in future; and

c) pass such other or further order(s) as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case, in the interest of justice.

mSharma

Date: 06.02.2026 **Applicant**

Place: Aligarh **Mamta Sharma**

कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़

पत्रांक 5100/7/पं0/आर0टी0आई0/2025–26 दिनांक 08/10/25

श्रीमती ममता शर्मा

निवासी ग्राम पंचायतः– अर्राना

विकास खण्ड खैर

जनपद अलीगढ़।

अपने ऑनलाइन आर0टी0आई0 रजिस्ट्रेशन नम्बर DIRPR/R/2025/62939 दिनांक 07–10–2025 का संदर्भ लें, जिससे आप द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत श्री डम्वर सिंह पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत अर्राना से सम्बन्धित सूचना चाही गयी है।

अतः आपके पत्र दिनांक 07–10–2025 के कम में आप द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना की प्रमाणित छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही हैं।

संलग्नः– यथोक्त।

(यतेन्द्र सिंह)
जिला पंचायत राज अधिकारी
अलीगढ़।

पत्रांकःदिनांकःःउक्त।

प्रतिलिपिः–

1– मुख्य विकास अधिकारी महोदय अलीगढ़ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– जिलाधिकारी महोदय अलीगढ़ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– मा0 राज्य सूचना आयोग 7/7/ए विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित

जिला पंचायत राज अधिकारी
अलीगढ़।

msharma

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

संख्याः 4929/7-पं0/प्र0स्था0/ग्रा0पं0/धारा-95(1)(छ)/कार्य0/2025-26/दिनांकः 2 (सितम्बर,2025

::आदेश::

श्रीमती ममता शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट अर्राना विकास खण्ड खैर अलीगढ के द्वारा प्रेषित विभिन्न शिकायती-पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं/तथ्यों की भौतिक एवं स्थलीय जांच अधोहस्ताक्षरी के आदेशानुसार जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांकः 04.07.2025 को ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर में स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण/सत्यापन किया गया तथा पाया गया कि उनके घर के पास हो रहे जल भराव की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खै, अलीगढ़ भलीभांति अवगत थे। प्रश्नगत् शिकायत/समस्या का श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा निराकरण न किये जाने के कारण जन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसके कारण प्रश्नगत् प्रकरण/वाद ऑरिजिनल अप्लीकेशन संख्याः 745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्राना व अन्य लम्बे समय से मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.)नई दिल्ली में विचाराधीन है। इस प्रकरण/समस्या/शिकायत की जांच विकास खण्ड खैर के अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एवं सहायक विकास अधिकारी (पं0)खैर, अलीगढ़ से करायी गयी, जिनके द्वारा उक्त समस्या की पुष्टि की गयी तथा अवगत कराया गया है कि एल. एम.सी. की भूमि से पी.डब्ल्यू.डी.की नाला/नाली की तरफ ही जल निकासी होनी चाहिये थी, जो जानबूझकर श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा नहीं की गयी। उक्त के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, खैर, अलीगढ़ द्वारा मौखिक/लिखित रूप से जल भराव की समस्या के निराकरण/कार्यवाही हेतु निर्देश भी दिये गये थे, परन्तु श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अर्राना में जल भराव की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में न तो कोई भी समुचित कार्यवाही की गयी और न ही उक्त जल भराव की समस्या का जनहित के दृष्टिगत् समुचित निराकरण किया गया है। प्रश्नगत् प्रकरण में श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा,सहायक विकास अधिकारी(पं0)विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं श्री विनोद कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,अलीगढ़ की पूर्व में की गई संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांकः 01.04.2022 में भी पुष्टि की गयी, परन्तु तत्समय भी श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा उक्त जल भराव की समस्या का जनहित के दृष्टिगत् समुचित निराकरण किया गया।

ग्राम पंचायत अर्राना में गाटा संख्याः 38 तालाब पर निर्मित नाली के पानी निकासी के सम्बन्ध में श्री नीरज प्रताप सिंह, कंसल्टिंग इंजीनियर,विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ को प्रेषित निरीक्षण आख्या दिनांकः 17.07.2025 के अनुसार गाटा संख्याः 38 तालाब पर निर्मित नाली एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई नाली के तल/Bedकी समतलीकरण /Levelling की गयी तथा पाया गया कि दोनों ही नाली के तल/Bed,Same Level पर निर्मित हैं, यदि तालाब पर बनी नाली के तल/Bed को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो तालाब पर बनी नाली के पानी का प्रवाह/Flow भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई नाली की ओर हो जायेगा। अवर अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा भी पूर्व में अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया था कि नाली के पानी का प्रवाह/Flow,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनी नाली की ओर सम्भव है,परन्तु श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा जानबूझकर जनहित कार्य नहीं किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत अर्राना में तालाब हेतु कोई भूमि आरक्षित नहीं हैं, फिर श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अर्राना की पीली मिट्टी वाली भूमि में अनावश्यक रूप से जनहित के विपरीत नाली का निर्माण,तालाब की खुदाई/निर्माण/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया, जोकि जनहित के लिए कतई उपयोगी नहीं है। इस प्रकार उक्त जल भराव की समस्या का जनहित के दृष्टिगत् समुचित निराकरण नहीं किया गया। सम्बन्धित सचिव एवं श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अर्राना की पीली मिट्टी वाली भूमि में शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स, शासनादेश, निर्देश एवं जनहित के विपरीत अनावश्यक रूप से मनमाने तरीके से नाली का निर्माण कराकर धनराशि मु0-2,16,592.00रू0 का दुरूपयोग किया गया है। इसी प्रकार तालाब कीखुदाई/निर्माण/सौन्दर्यीकरण/फिल्टर चैम्बर/लीच पिट आदि कार्य कराकर ग्राम निधि की लाखों रू0 की शासकीय धनराशि का दुरूपयोग/ दुर्विनियोग करने के साथ-साथ प्रधान पद का भी दुरूपयोग

-2-

प्रधान को सुनवाई युक्त समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध पर्याप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के एक साथ वाचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि "श्री डम्बर सिंह ने प्रधान पद व ग्राम निधि के शासकीय धन का दुरूपयोग किया है व उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक की है, जिस कारण से श्री डम्बर सिंह का इस रूप में प्रधान पद पर बना रहना जनहित में वांछनीय नहीं है।"

"उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम,1947 की धारा 95(1)(छ)(iii) में प्राविधान है कि "उसने (ग्राम प्रधान ने) इस रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक की हो अथवा उसका इस रूप में बना रहना जनहित में वांछनीय न हो।"

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई प्रधान या उप प्रधान ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से,जैसी विहित की जाये,की गयी किसी जांच में प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाये वहां ऐसा प्रधान या उप प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाये, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।"

अतः उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम,1947 की धारा–95(1)(छ) तथा उ0प्र0 पंचायतराज (प्रधान,उप प्रधान और सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली,1997 व यथासंशोधित जांच नियमावली, 2001 एवं सपठित राजाज्ञा संख्याः1684/33–1–1997–123/97लखनऊ दिनांकः30अप्रैल,1997 में उल्लिखित प्राविधान एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ द्वारा प्रधान पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए उपर्युक्त कार्यों पर ग्राम निधि की शासकीय धनराशि के दुर्विनियोग/दुरूपयोग की गंभीर वित्तीय अनियमितताओ एवं आरोपों के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने आदि के फलस्वरूप जनहित एवं शासकीय हित में श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित करते हुए एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ ग्राम पंचायत अर्राना की प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि वह अन्तिम जांच में उक्त गंभीर वित्तीय अनियमितताओं एवं आरोपों से मुक्त न हो जायें। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर अलीगढ़ में प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन ग्राम पंचायत अर्राना के निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की एक त्रिसदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण की अन्तिम जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ को जांच अधिकारी नामित करते हुए आदेशित किया जाता है कि वह एक पक्ष के अन्दर प्रकरण की मौके पर जाकर उभय पक्षों को सूचित करने के उपरान्त तकनीकी, स्थलीय एवं अभिलेखीय अन्तिम जांच कर साक्ष्यों सहित सुस्पष्ट अन्तिम जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(संजीव रंजन)
ज़िला मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।

संख्याः 4929 /7–पं0/प्र0स्था0/ग्रा0पं0/धारा–95(1)(छ)/कार्य0/2025–26/दिनांकः 26 सितम्बर,2025

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निदेशक, पंचायतीराज,उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2– मुख्य विकास अधिकारी,अलीगढ़।

3– ज़िला विकास अधिकारी,अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि श्री डेविड कुमार,सचिव/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अर्राना के विरूद्ध उ0प्र0सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

4– अधिशासी अभियन्ता,ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ/जांच अधिकारी।

5– जिला पंचायत राज अधिकारी,अलीगढ़।

6– उप जिलाधिकारी,खैर,अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड

किया गया है। श्रीमती ममता शर्मा के [illegible] श्री उम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा जो भी [illegible] किया गया, वह भी किसी [illegible] के तहत है, न किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं थी।

उक्त के साथ साथ ही ग्राम पंचायत [illegible] पत्रावली के परीक्षण करने के उपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक अभिलेखीय [illegible] एवं श्री उम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 से 2024–2025 में ग्राम निधि की शासकीय धनराशि रू0 62,38,349.00/- आहरित कर शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स, शासनादेश, निर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया गया, जोकि ग्राम पंचायत अर्राना के ग्राम निधि शासकीय धनराशि दुरूपयोग करने की श्री उम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ की मंशा का स्पष्ट प्रमाण है।

उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ के निरीक्षण दिनांक 04.07.2025 व पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों/तथ्यों/साक्ष्यों के सम्यक एवं गहनतम परिशीलन एवं परीक्षण करने के उपरान्त ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर में आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों में ग्राम निधि की शासकीय धन दुरूपयोग/दुर्विनियोग व प्रधान पद का दुरूपयोग एवं गम्भीर लापरवाही, वित्तीय अनियमितताओं, दुरूपयोग/दुर्विनियोग के सम्बन्ध में उ0प्र0 पंचायत राज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना)जांच नियमावली, 1997 व यथासंशोधित जांच नियमावली, 2001 व [illegible] पंचायत राज अधिनियम,1947 की धारा–95(1)(छ) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री उम्बर सिंह की प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रतिबन्धित कर विकास कार्य हेतु तीन सदस्यीय समिति गठन आदि की विधिमान्य कार्यवाही से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त समुचित एवं पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या:3654/7–पं0/प्र0स्था0/प्रा0पं0/धारा–95(1)(छ)/कार्य0/2025–2026/ दिनांकः 18 जुलाई, 2025 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ के निरीक्षण दिनांक04.07.2025 की प्रति संलग्न कर कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए एक पक्ष के अन्दर साक्ष्यों सहित लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये,तत्क्रम में सम्बन्धित सचिव एवं श्री उम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ द्वारा लिखित उत्तर/प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित सचिव एवं श्री उम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर,जनपद अलीगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/लिखित उत्तर अभिलेखों, तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं पाए गये। इस प्रकार श्री उम्बर सिंह का ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर के प्रधान पद पर बना रहना जनहित के लिए वांछनीय नहीं है।

उपरोक्तानुसार जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ के निरीक्षण दिनांकः 04.07.2025 एवं अभिलेखों का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत अर्राना में अभिलेखों, शासनादेश एवं गाइडलाइन में विहित प्रकिया का पालन नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत अर्राना विकास कार्यों में घोर लापरवाही बरती गयी है। सम्बन्धित सचिव एवं श्री उम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अर्राना में कराये गये कार्यों में प्रथम दृष्ट्या घोर लापरवाही,उदासीनता एवं वित्तीय अनियमितता बरतते हुए ग्राम निधि की शासकीय धनराशि की गम्भीर वित्तीय अनियमितता/दुर्विनियोग/रूपयोग एवं अन्य अनियमिततायें करते हुए प्रधान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का जनहित में समुचित रूप से निर्वहन न कर ग्राम निधि के शासकीय धन एवं प्रधान पद का दुरुपयोग किया गया है। अतएव श्री उम्बर सिंह, ग्राम प्रधान के विरूद्ध उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियिम की धारा–95(1)(छ) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री उम्बर सिंह की प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियॉं प्रतिबन्धित कर विकास कार्य हेतु तीन सदस्यीय समिति गठन आदि की कार्यवाही किया जाना वैधानिक एवं न्यायसंगत है।

सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत एवं श्री उम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ द्वारा उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम,1947 एवं उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल में वर्णित प्रावधानों के विपरीत उपर्युक्त कार्यों पर ग्राम निधि की शासकीय धनराशि के दुर्विनियोग/दुरुपयोग से सम्बन्धित ऐस्टीमेट कार्य योजना, वित्तीय,प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति,टेण्डर/कुटेशन की प्रकिया/कार्यवाही, एम0बी0,कार्य पूर्ति प्रमाण–पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा/मुनादी रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैशबुक, पास बुक, चैक बुक,वाउचर्स गार्ड फाइल, मस्टर रोल, शौचालय निर्माण की सूची, कार्यपूर्ति प्रमाण– पत्र, ख़ाता रजिस्टर एवं पन्द्रहवां वित्त, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा की कार्ययोजनायें आदि ग्राम पंचायत अर्राना के अद्यावधिक अभिलेख आदि प्रपत्र प्रस्तुत न करना ग्राम निधि की शासकीय धनराशि के दुर्विनियोग/दुरूपयोग के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है।

"उ0प्र0पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा–95(1)(छ) एवं उ0प्र0 पंचायतराज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना)जांच नियमावली,1997 के उपबन्धों के अनुसार जांच प्रक्रिया पूर्ण कर जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या दिनांकः04.07.2025 की प्रति संलग्न कर ग्राम

खैर,अलीगढ़ में प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशा निक शक्तियां का प्रयोग और कृत्यों के
सम्पादन हेतु ग्राम पंचायत अर्राना में निर्वाचित म पंचायत सदस्यों की त्रिसदस्यीय समिति के
गठन हेतु अपनी अध्यक्षता/उपस्थिति में नियम ुसार ग्राम पंचायत अर्राना में निर्वाचित ग्राम
पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित कराकर त्रिसदस्यीय समिति के गठन हेतु प्रस्ताव की
प्रमाणित प्रति जिला पंचायतराज अधिकारी,अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

7– खण्ड विकास अधिकारी,खैर,अलीगढ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8– सहायक विकास अधिकारी(पं0)खैर,अलीगढ़।

9– सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर,अलीगढ को सहायक विकास अधिकारी(पं0)खैर,अलीगढ के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।

10– सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जिला अलीगढ़ को सहायक विकास अधिकारी(पं0)खैर, जिला अलीगढ़ के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।

11– श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रतिबन्धित)ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर,ज़िला अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।(स्पीड पोस्ट)

जिला मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।

जनसूचना अधिनियम
2005 ...

1

14

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

संख्याः 4929/7-पं०/प्र०स्था०/ ग्रा०पं०/धारा-95(1)(छ)/कार्य०/2025-26/

दिनांक 26,सितम्बर, 2025

<u>आदेशः</u>

श्रीमती ममता शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट अर्रागा विकास खण्ड खैर अलीगढ़ के द्वारा प्रेषित विभिन्न शिकायती पत्रों में उल्लिखित विन्दुओं/ तथ्यों की भौतिक एवं स्थलीय जांच अधोहस्ताक्षरी के विन्दुआ/तथ्या आदेशानुसार जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ द्वारा दिनांकः 04.07.2025 को ग्राम पंचायत अर्रांना विकास चण्ड खैर में स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण / सत्यापन किया गया तथा पाया गया कि उनके घर के पास हो रहे जल भराव की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि जल भराव की समस्या के सम्बन्ध में श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्शना विकास खण्ड खै, अलीगढ़ भलीभांति अवगत थे। प्रश्नगत् शिकायत / समस्या का श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्रांना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा निराकरण न किये जाने के कारण जन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसके कारण प्रश्नगत् प्रकरण/चाद ऑरिजिनल अप्लीकेशन संख्याः 745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्राम पंचायत अर्रांना व अन्य लम्बे समय से मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली में विचाराधीन है। इस प्रकरण करण/समस्या/शिकायत / समस्या/ की जांच विकास खण्ड खैर के अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग एवं सहायक विकास अधिकारी (पं०) खैर, अलीगढ़ से करायी गयी, जिनके द्वारा उक्त समस्या की पुष्टि की गयी तथा अवगत कराया गया है कि एल एम.सी. की भूमि से पी.डब्ल्यू.डी. की नाला/नाली की तरफ ही जल निकासी होनी चाहिये थी, जो जानबूझकर श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्रांना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा नहीं की गयी। उक्त के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, खैर, अलीगढ़ द्वारा मौखिक /लिखित रूप से जल भराव की समस्या के निराकरण/कार्यवाही हेतु निर्देश भी दिये गये थे, परन्तु श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्रांना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अर्रांना में जल भराव की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में न तो कोई भी समुचित कार्यवाही की गयी और न ही उक्त जल भराव की समस्या का जनहित के दृष्टिगत समुचित निराकरण किया गया है। प्रश्नगत् प्रकरण में श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पं०) विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं श्री विनोद कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ़ की पूर्व में की गई संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 01.04.2022 में भी पुष्टि की गयी, परन्तु तत्समय भी श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अरांना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा उक्त जल भराव की समस्या का जनहित के दृष्टिगत् समुचित निराकरण किया गया।

ग्राम पंचायत अर्रांना में गाटा संख्याः 38 तालाब पर निर्मित नाली के पानी निकासी के सम्बन्ध में श्री नीरज प्रताप सिंह, कंसल्टिंग इंजीनियर, विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ को प्रेषित निरीक्षण आख्या दिनांकः 17.07.2025 के अनुसार गाटा संख्याः 38 तालाब पर निर्मित नाली एवं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई नाली के तल/Bedकी समतलीकरण / Levelling की गयी तथा पाया गया कि दोनों ही नाली के तल / Bed, Same Level पर निर्मित हैं, यदि तालाब पर बनी नाली के तल/Bed को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो तालाब पर बनी नाली के पानी का प्रवाह/Flow भारतीय राष्ट्रीय

राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई नाली की ओर हो जायेगा। अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा भी पूर्व में अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया था कि नाली के पानी का प्रवाह /Flow, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनी नाली की ओ सम्भव है, परन्तु श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा जानबूझकर जनहित कार्य नहीं किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत अर्राना में तालाब हेतु कोई भूमि आरक्षित नहीं हैं, फिर श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अर्राना की पीली मिट्टी वाली भूमि में अनावश्यक रूप से जनहित के विपरीत नाली का निर्माण, तालाब की खुदाई/निर्माण/सौन्दर्याकरण का कार्य कराया गया, जोकि जनहित के लिए कतई उपयोगी नहीं है। इस प्रकार उक्त जल भराव की समस्या का जनहित के दृष्टिगत् समुचित निराकरण नहीं किया गया। सम्बन्धित सचिव एवं श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्शना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अर्राना की पीली मिट्टी वाली भूमि में शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स, शासनादेश, निर्देश एवं जनहित के विपरीत अनावश्यक रूप से मनमाने तरीके से नाली का निर्माण कराकर धनराशि मु0- 2,16,592.00 रू0 का दुरुपयोग किया गया है। इसी प्रकार तालाब कीखुदाई /निर्माण/सौन्दर्थीकरण/फिल्टर चैम्बर/लीच पिट आदि कार्य कराकर ग्राम निधि की लाखों रु० की शासकीय धनराशि का दुरूपयोग / दुर्विनियोग करने के साथ-साथ प्रधान पद का भी दुरूपयोग किया गया है। श्रीमती ममता शर्मा के घर के सामने श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्चना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा जो पानी इकट्ठा किया गया, वह भी पीली मिट्टी की जगह है, जो किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं थी।

उक्त के साथ-साथ ई-ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर पोर्टल का परीक्षण करने के उपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से 205-20 तक सम्बन्धित सचिव एवं श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 से 2024-2025 में ग्राम निधि की शासकीय धनराशि मु०-52,38,349.00 रु० आहरित कर शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स, शासनादेश, निर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया गया, जोकि ग्राम पंचायत अर्शना की ग्राम निधि शासकीय धनराशि दुरूपयोग करने की श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्शना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ की मंशा का स्पष्ट प्रमाण है।

उक्त के क्रम में जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ के निरीक्षण दिनांक 04.07.2025 व पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों/ तथ्यों/ साक्ष्यों के सम्यक एवं समीचीन परिशीलन एवं परीक्षण करने के उपरान्त ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर में आहरित धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों में ग्राम निधि की शासकीय धन दुरूपयोग/दुर्विनियोग व प्रधान पद का दुरूपयोग एवं गम्भीर आरोपों, वित्तीय अनियमितताओं, दुरूपयोग / दुर्विनियोग यो सम्बन्ध में उ०प्र० पंचायत राज (प्रधानो-उप प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जॉच नियमावली, 1997 व यथासंशोधित जॉच नियमावली, 2001 व उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-95(1) (छ) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री डम्बर सिंह की प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियाँ प्रतिबन्धित कर विकास कार्य हेतु तीन सदस्यीय समिति गठन आदि की विधिमान्य कार्यवाही से पूर्व व्यक्तिगत सुनवाई का युक्तियुक्त समुचित एवं पूर्ण अवसर

प्रदान करते हुए अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या: 3654/7-पं०/प्र०स्था०/ ग्रा०प०/धारा-95 (1) (छ) / कार्य० / 2025-2026/दिनांकः 18 जुलाई, 2025 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ के निरीक्षण दिनांक 04.07.2025 की प्रति संलग्न कर कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए एक पक्ष के अन्दर साक्ष्यों सहित लिखितउत्तर / स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये, तत्कम में सम्बन्धित सचिव एवं श्री डम्बर सिंह, ग्राग प्रधानः ग्राम पंचायत अर्रना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ द्वारा लिखित उत्तर/प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित सचिव एवं श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्चना विकास खण्ड खैर, जनपद अलीगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/लिखित उत्तर अभिलेखों, तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं पाये गये। इस प्रकार श्री उम्बर सिंह का ग्राम पंचायत अरांना विकास खण्ड खैर के प्रधान पद पर बना रहना जनहित के लिए वांछनीय नहीं है।

उपरोक्तानुसार जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़ के निरीक्षण दिनांकः 04.07.2025 एवं अभिलेखों का परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत अर्शना में अभिलेखों, शासनादेश एवं गाइडलाइन में विहित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तथा ग्राम पंचायत अर्रना विकास कार्यों में घोर लापरवाही बरती गयी है। सम्बन्धित सचिव एवं श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्रना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अर्रना में कराये गये कार्यों में प्रथम दृष्ट्या घोर लापरवाही, उदासीनता एवं वित्तीय अनियमितता बरतते हुए ग्राम निधि की शासकीय धनराशि की गम्भीर वित्तीय अनियनितता /दुर्तिनियोग / रुपयोग एवं अन्य अनियमिततायें करते हुए प्रधान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का जनहित में समुचित रूप से निर्वहन न कर ग्राम निधि के शासकीय धन एवं प्रधान पद का दुरूपयोग किया गया है। अतएव श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान के विरुद्ध उ०प्र० पंचायतराज अधिनियिम की धारा-95 (1) (छ) में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत श्री डम्बर सिंह की प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों प्रतिवन्धित कर विकास कार्य हेतु तीन सदस्यीय समिति गठन आदि की कार्यवाही किया जाना वैधानिक एवं न्यायसंगत है।

सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत एवं श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्रना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ द्वारा उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम, 1947 एवं उ०प्र० पंचायत राज लेखा मैनुअल में वर्णित प्रावधानों के विपरीत उपर्युक्त कार्यों पर ग्राम निधि की शासकीय धनराशि के दुर्विनियोग /दुरूपयोग से सम्बन्धित ऐस्टीमेट कार्य योजना, वित्तीय प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, टेण्डर / कुटेशन की प्रक्रिया / कार्यवाही, एम०बी०, कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, कार्यवाही रजिस्टर, एजेण्डा/मुनादी रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैशबुक, पास बुक, चैक बुक, वाउचर्स, गार्ड फाइल, मस्टर रोल, शौचालय निर्माण की सूची, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, खाता रजिस्टर एवं पन्द्रहवां वित्त, राज्य वित्त आयोग, मनरेगा की कार्ययोजनायें आदि ग्राम पंचायत अर्थना के अद्यावधिक अनिलेख आदि प्रपत्र प्रस्तुत न करना ग्राम निधि की शासकीय धनराशि के दुर्विनियोग / दुरुपयोग के प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है।

"उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-95 (1) (छ) एवं उ०प्र० पंचायतराज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 के उपबन्धों के अनुसार जांच प्रक्रिया पूर्ण कर जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ की निरीक्षण आख्या दिनांक 04.07.2025 की प्रति संलग्न कर ग्राम प्रधान को युक्तियुक्त समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त उपलब्ध पर्या५ तथ्यों एवं साक्ष्यों के

एक साथ वाचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि "श्री डम्बर सिंह ने प्रधान पद व ग्र.। निधि के शासकीय धन का दुरूपयोग किया है व उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक की है, जिस कारण से श्री डम्बर सिंह का इस रूप में प्रधान पद पर बना रहना जनहित में वांछनीय नहीं है।"

"उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-95 (1) (छ) (ii) में प्राविधान है कि "उसने (ग्राम प्रधान ने) इस रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया हो अथवा उसने इस अधिनियम द्वारा अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा अधिरोपित कर्तव्यों के पालन में निरन्तर चूक की हो अथवा उसका इस रूप में बना रहना जनहित में वांछनीय न हो।"

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई प्रधान या उप प्रधान ऐसे व्यक्ति द्वारा और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, की गयी किसी जांच में प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोगी पाया जाये वहां ऐसा प्रधान या उप प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाये, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।"

अतः उ०प्र० पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-95 (1) (छ) तथा उ०प्र० पंचायतराज (प्रधान, उप प्रधान और सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 व यथासंशोधित जांच नियमावली, 2001 एवं सपठित राजाज्ञा संख्या: 1684/33-1-1997-123/97 लखनऊ दिनांक: 30 अप्रैल, 1997 में उल्लिखित प्राविधान एवं अधिकारों का प्रयोग करते हुए श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ द्वारा प्रधान पदीय शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए उपर्युक्त कार्यों पर ग्राग निधि की शासकीय धनराशि के दुर्विनियोग / दुरूपयोग की गंभीर वित्तीय अनियमितताओ एवं आरोपों के लिए प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने आदि के फलस्वरूप जनहित एवं शासकीय हित में श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां अग्रिम आदेशों तक प्रतिबन्धित करते हुए एतद्वारा आदेशित किया जाता है कि श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्शना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ ग्राम पंचायत अर्चना की प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन तब तक नहीं करेंगे, जब तक कि वह अन्तिम जांच में चक्का गंभीर वित्तीय अनियमितताओं एवं आरोपों से मुक्त न हो जायें। उक्त अवधि में ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर अलीगढ़ में प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन ग्राम पंचायत अर्राना के निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की एक त्रिसदस्यीय समिति द्वारा किया जायेगा। प्रश्नगत प्रकरण की अन्तिम जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ़ को जांच अधिकारी नामित करते हुए आदेशित किया जाता है कि वह एक पक्ष के अन्दर प्रकरण की मौके पर जाकर उभय पक्षों को सूचित करने के उपरान्त तकनीकी, स्थलीय एवं अभिलेखीय अन्तिम जांच कर साक्ष्यों सहित सुस्पष्ट अन्तिम जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

18

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

(संजीव रंजन)
जिला मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।

संख्या: 4929/7-पं०/प्र०स्था० ग्रा०प०/ धारा-95(1)(छ)/कार्य०/2025-26/दिनांक सितम्बर, 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़।
3. जिला विकास अधिकारी, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि श्री डेविड कुमार, सचिव / ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अर्राना के विरूद्ध उ०प्र०सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अमोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, अलीगढ़/जांच अधिकारी।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़।
6. उप जिलाधिकारी, खैर, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ कि ग्राम पंचायत अरांना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ में प्रधान पद की वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों के सम्पादन हेतु ग्राम पंचायत अर्राना में निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की त्रिसदस्यीय समिति के गठन हेतु अपनी अध्यक्षता / उपस्थिति में नियमानुसार ग्राम पंचायत अर्शना में निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों की बैठक आयोजित कराकर त्रिसदस्यीय समिति के गठन हेतु प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति जिला पंचायतराज अधिकारी, अलीगढ़ को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. खण्ड विकास अधिकारी, खैर, अलीगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सहायक विकास अधिकारी (पं०) खैर, अलीगढ़।
9. सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर अलीगढ़ को सहायक विकास अधिकारी (पं०) खैर, अलीगढ़ के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
10. सम्बन्धित बैंक शाखा प्रबन्धक ग्राम पंचायत अर्चना विकास खण्ड खैर जिला अलीगढ़ को सहायक विकास अधिकारी (पं०) सखैर, जिला अलीगढ़ के माध्यम से सूचनार्थ प्रेषित।
11. श्री डम्बर सिंह, ग्राम प्रधान (वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां प्रतिबन्धित) ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, ज़िला अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित। (स्पीड पोस्ट)

जिला मजिस्ट्रेट,
अलीगढ़।

::निरीक्षण आख्या::

निरीक्षणकर्ता का नामः—श्री यतेन्द्र सिंह — पदनामः—जिला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़।
ग्राम पंचायत का नामः—अर्राना — विकास खण्ड का नामः—खैर
जनपद का नामः—अलीगढ़ — निरीक्षण की तिथिः— 04.07.2021

श्रीमती ममता शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट अर्राना विकास खण्ड खैर अलीगढ़ के द्वारा प्रेषित विभिन्न शिकायती—पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं/तथ्यों की प्रारम्भिक जांच हेतु ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर जनपद अलीगढ़ में दिनांकः 04.07.2025 को मौके पर जाकर औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहायक विकास अधिकारी(पं0)विकास खण्ड खैर,अलीगढ़,ग्राम प्रधान एवं सचिव/ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत अर्राना व काफी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय वास्तविक स्थिति/वित्तीय अनियमिततायें निम्नानुसार पायी गयी हैं:—

1—निरीक्षण के समय यह तथ्य संज्ञानित हुआ कि श्रीमती ममता शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट अर्राना विकास खण्ड खैर अलीगढ के घर के पास हो रहे जल भराव की समस्या का समाधान श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा भलीभांति अवगत होने के बावजूद भी जानबूझकर नहीं कराया गया। श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ द्वारा जल भराव की समस्या का समाधान/निराकरण न किये जाने के कारण जन समस्या जस की तस बनी हुई है, जिसके कारण प्रश्नगत् प्रकरण/वाद ऑरिजिनल अप्लीकेशन संख्याः 745/2023 ममता शर्मा बनाम ग्रान पंचायत अर्राना व अन्य लम्बे समय से मा.राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.)नई दिल्ली में विचाराधीन है। इस प्रकरण/समस्या/शिकायत की जांच विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ के श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पं0)खैर, अलीगढ़ एवं श्री विनोद कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, विकास खण्ड खैर,अलीगढ़ द्वारा भी दिनांकः 01.04.2022 को संयुक्तरूप से की गयी, जिनके द्वारा उक्त समस्या की पुष्टि की गयी है तथा अवगत कराया गया है कि एल.एम.सी. की भूमि से पी.डब्ल्यू.डी.की नाला/नाली की तरफ ही जल निकासी होनी चाहिये। उक्त के सम्बन्ध में खण्ड विकास अधिकारी, खैर, अलीगढ़ द्वारा मौखिक/लिखित रूप से जल भराव की समस्या के निराकरण/ कार्यवाही हेतु निर्देश भी दिये गये थे, परन्तु श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ द्वारा ग्राम पंचायत अर्राना में जल भराव की समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में न तो कोई भी समुचित कार्यवाही की गयी और न ही उक्त जल भराव की समस्या का निराकरण किया गया है। इस प्रकार ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत अर्राना द्वारा अनियमित तरीके से शासकीय धनराशि का दुरूपयोग/दुर्विनियोग/वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस प्रकार श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति घोर उदसीनता, शिथिलता एवं अकर्मण्डयता बरती गयी है,जिसके लिए श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव पूर्णरूपेण उत्तरदायी/दोषी हैं।

2—निरीक्षण के समय ग्राम पंचायत अर्राना में गाटा संख्याः 38 तालाब पर निर्मित नाली के पानी की निकासी के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञानित हुआ कि गाटा संख्याः 38 तालाब पर निर्मित नाली एवं भारतीय राष्ट्रीयं राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई नाली के तल/Bed की समतलीकरण/Levelling की गयी तथा पाया गया कि दोनों ही नाली के तल/Bed,Same Level पर निर्मित हैं, यदि तालाब पर बनी नाली के तल/Bed को थोड़ा सा

msharma

ऊपर उठा दिया, तो तालाब पर बनी नाली के पानी का प्रवाह/Flow भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाई गई नाली की ओर हो जायेगा। श्री प्रकाश चन्द्र वर्मा, सहायक विकास अधिकारी (पं0)खैर, अलीगढ़ एवं श्री विनोद कुमार वर्मा, अवर अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, विकास खण्ड खैर,अलीगढ़ द्वारा भी दिनांक 01.04.2022 को संयुक्तरूप रिपोर्ट में अवगत कराया गया था कि नाली के पानी का प्रवाह/Flow,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनी नाली की ओर सम्भव है,परन्तु श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति घोर उदसीनता, शिथिलता एवं अकर्मण्डयता बरती गयी है,जिसके लिए श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव पूर्णरूपेण उत्तरदायी/दोषी हैं।

3–निरीक्षण के समय उक्त के सम्बन्ध में यह तथ्य भी संज्ञानित हुआ कि सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायत अर्राना में तालाब हेतु कोई भूमि आरक्षित नहीं हैं, फिर श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा ग्राम पंचायत अर्राना की पीली मिट्टी वाली भूमि में अनावश्यक रूप से जनहित के विपरीत नाली का निर्माण,तालाब की खुदाई/निर्माण/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया गया, जोकि जनहित के लिए कतई उपयोगी नहीं है। इस प्रकार श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा ग्राम पंचायत अर्राना की पीली मिट्टी वाली भूमि में शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स, शासनादेश, निर्देश एवं जनहित के विपरीत अनावश्यक रूप से मनमाने तरीके से नाली का निर्माण कराकर धनराशि मु0–2,16,592.00रू0 का दुरूपयोग किया गया है। इसी प्रकार तालाब की खुदाई/निर्माण/सौन्दर्यीकरण/फिल्टर चैम्बर/लीच पिट आदि कार्य कराकर ग्रान निधि की लाखों रू0 की शासकीय धनराशि का दुरूपयोग/दुर्विनियोग करने के साथ–साथ प्रधान पद का भी दुरूपयोग किया गया है। श्रीमती ममता शर्मा के घर के सामने श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा जो पानी इकट्ठा किया गया है, वह भी पीली मिट्टी की जगह है। अतएव श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव से ग्राम पंचायत अर्राना की ग्राम निधि कोष को क्षति कारित करने/दुरूपयोग/गम्भीर अनियमितता/दुर्विनियोग की गई शासकीय धनराशि की नियमानुसार वसूली किया जाना न्यायसंगत है।

4–निरीक्षण के समय ई–ग्राम स्वराज सॉफ्टवेयर पोर्टल का परीक्षण करने के उपरान्त यह तथ्य संज्ञान में आया है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 से 205–26 तक श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 से 2024–2025 में ग्राम निधि की शासकीय धनराशि मु0–52,38,349.00 रू0 आहरित कर शासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स, शासनादेश, निर्देश के अनुसार कार्य नहीं किया गया,जोकि ग्राम निधि शासकीय धनराशि दुरूपयोग करने की मंशा का स्पष्ट प्रमाण है। सम्बन्धित सचिव/ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत अर्राना के ग्राम निधि से आहरित की गई धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यो के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये,परन्तु सचिव एवं ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सचिवालय पर निरीक्षण के समय कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सके। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ एवं सम्बन्धित सचिव द्वारा पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का जनहित में समुचित रूप से निर्वहन नही किया गया है एवं उच्चधिकारियों के आदेशों की निरन्तर अवहेलना की गयी है। इस प्रकार श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ का प्रधान के पद पर बना रहना जनहित के लिए वांछनीय नही

msharma

है। अतएव श्री डम्बर सिह, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ के विरूद्ध उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियिम की धारा 95(1)(छ) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत में विकास कार्य हेतु त्रिसदस्यीय समिति गठन की कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्तानुसार निरीक्षण आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित है।

5.7.2025

(यतेन्द्र सिंह)
जिला पंचायत राज अधिकारी,
अलीगढ़।

कार्यालय ज़िला पंचायत राज अधिकारी, अलीगढ़।

संख्याः3395(1)/7–पं0 / प्र0स्था0 / ग्रा0पं0 / निरीक्षण / 2025–2026 / दिनांकः05 जुलाई, 2025

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी महोदय,अलीगढ़ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2– मुख्य विकास अधिकारी महोदय,अलीगढ़ को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

3– खण्ड विकास अधिकारी, खैर, अलीगढ़।

4– सहायक विकास अधिकारी (पं0),खैर, अलीगढ़ को अनुपालनार्थ प्रेषित।

5– सम्बन्धित सचिव,ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित अपना लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें,अन्यथा की दशा में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की जायेगी,जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

6– सम्बन्धित प्रधान / सचिव,ग्राम पंचायत अर्राना विकास खण्ड खैर, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित अपना लिखित स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें,अन्यथा की दशा में उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा–95(1)(छ)के अन्तर्गत कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी, जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होगे।

5.7.2025

जिला पंचायत राज अधिकारी,
अलीगढ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
जनपद (अलीगढ़)

विषय :- ग्राम अर्जुना के श्रीमती ममता शर्मा निवासी ग्राम अर्जुना के प्रार्थना पत्र के आधार पर जांच आख्या

महोदय,

श्रीमती ममता शर्मा के शिकायती प्रार्थना पत्र को [illegible] माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को सम्बोधित है जिसके प्रार्थना पत्रों के आधार पर संयुक्त रूप से अवर अभियन्ता (ग्रा० अभि० विभाग), सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विकास खण्ड खैर के साथ की गयी, जांच आख्या निम्नवत् है

जाँच के समय पाया गया कि अलीगढ़-पलवल मार्ग के साथ बायी तरफ लोक निर्माण विभाग अलीगढ़ द्वारा आबादी भाग में U-टाईप नाली/नाला बनाया गया है जो जल निकासी हेतु बनाया गया है। आबादी के बाहर सड़क की साइड में गड्ढे में पानी भरा हुआ है। ग्राम पंचायत द्वारा जो नाली का निर्माण किया गया है जो सही है उसका जल निकास भी लोक निर्माण विभाग द्वारा बनायी गयी नाली/नाला की तरफ होना चाहिये। जिस तरफ ग्राम पंचायत द्वारा नाली का कहना कर रहे हैं वह 1398 की भूमि है तथा श्रीमती ममता शर्मा के मकान के सामने है। 1398 की भूमि से आगे जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है। U-टाईप नाली का निर्माण 1398 की भूमि में 0.40 की नाली/नाला की तरफ होना चाहिये तथा श्रीमती ममता शर्मा के मकान से जल निकासी हेतु नाली का ढलान अलीगढ़-पलवल मार्ग पर बने नाली/नाला की तरफ होना चाहिये।

संलग्न :- जाँच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

[illegible] 2022
श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा
ADO (P)
वि० ख० खैर

[illegible] 2022
विनोद कुमार वर्मा
अवर अभियन्ता
(आर०ई०एस०)

नगरचना अधिनियम
2008 [illegible]

mSharma

INDIA NON JUDICIAL
609
Government of Uttar Pradesh

IN-UP95981439692343Y

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP95981439692343Y
Certificate Issued Date	:	07-Feb-2026 01:36 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14375904/ KHAIR/ UP-ALG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1437590487895907506296Y
Purchased by	:	MAMTA SHARMA WIFE OF H C SHARMA
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MAMTA SHARMA WIFE OF H C SHARMA
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	MAMTA SHARMA WIFE OF H C SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	10 (Ten only)

सत्यमेव जयते

₹10

IN-UP95981439692343Y

Please write or type below this line

msharma

NOTARY SATYENDRA KUMAR SHARMA TAHSIL-KHAIR (ALIGARH) Regd No 13/5/85 GOVT. OF UTTAR PRADESH

SNo 429 dated 07.02.026

Attached with Affidavit of Sh. MAMTA SHARMA

07.02.026

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

AFFIDAVIT

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION No. 745/2023

IN THE MATTER OF:

Ms. Mamta Sharma … Applicant

Versus

Gram Panchayat Arrana & Ors. … Respondents

AFFIDAVIT OF THE APPLICANT

I, **Mrs. Mamta Sharma**, wife of Shri H C Sharma, aged about 56 years, resident of **Village Arrana, Tehsil Khair, District Aligarh, Uttar Pradesh**, the Applicant in the above-mentioned Original Application, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I am the **Applicant** in the present Original Application and am well acquainted with the facts and circumstances of the case, hence competent to swear this affidavit.
2. That I have read and understood the contents of the attached **reply** filed along with the present affidavit.
3. That the statements made in the accompanying reply are **true and correct to my personal knowledge**, derived from official records, site inspections, and communications with the District Authorities.
4. That the statements made in the remaining paragraphs of the reply, including the **Prayer Clause**, are based on legal advice and records, which I believe to be true and correct.
5. That the documents annexed with the reply as **Annexures** are true and correct copies of their respective originals/relevant extracts.
6. That no material fact has been concealed and no false statement has been made in the reply or in the present affidavit.
7. That this affidavit is being filed to **verify and support the contents of the reply**, in compliance with the requirements of law and the procedure of this Hon'ble Tribunal.

07.02.026

NOTARY SATYENDRA KUMAR SHARMA TAHSIL-KHAIR (ALIGARH) Regd No. 13(6)85 GOVT. OF UTTAR PRADESH

MSharma

VERIFICATION

I, the above-named deponent, do hereby verify that the contents of **paragraphs 1 to 7** of this affidavit are true and correct to my knowledge and belief, and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at **Aligarh** on this 07th day of Feb., **2026.**

M Sharma

M Sharma

DEPONENT
(Signature)

ATTESTED
07.02.026
(Satyendra Kumar Sharma)
NOTARY
Tehsil KHAIR (Aligarh)
Reg. No 13(6)85

Name: Ms. Mamta Sharma
Applicant

ATTESTATION

Sworn and signed before me on this 07th day of Feb., 2026 at Khair.

OATH COMMISSIONER / NOTARY PUBLIC
(Signature & Seal)

Solemnly affirmed before me by Sri MAMTA SHARMA
Identified by Shri Self
who has been heard the contents and admitted the same to be Correct, before me. S.No. 429
07.02.2026
Satyendra Kumar Sharma
NOTARY
Tehsil KHAIR (Aligarh)

NOTARY
SATYENDRA KUMAR SHARMA
TAHSIL-KHAIR
(ALIGARH)
Regd No 13(6)85
GOVT. OF UTTAR PRADESH